संख्या-1/2023/570 / सैंतालीस-का-1-2023-13(1) / 2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2023**

विषय:- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2023 **तक सम्पन्न कराया जाना।**

महोदय,

आप अवगत है कि दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चयन वर्ष 2023-24 प्रारम्भ हो चुका है। चयन की कार्यवाही समय से सम्पन्न न होने पर पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते है तथा संबंधित कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अत: पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली, चयन वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष, चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर,2023 तक पूर्ण कर ली जाए।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

2.1 चयन वर्ष 2023-24 (दिनांक 01 जुलाई 2023 से दिनांक 30 जून, 2024 तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाय।

2.2 विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिन्हें मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु विहित प्रक्रिया/प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम 31 जुलाई, 2023 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये, ताकि चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से पूर्व सम्पन्न करायी जा सके।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2.3 कार्मिक विभाग को दिनांक 31 जुलाई, 2023 के पश्चात एवं दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को विलम्ब के तथ्यात्मक कारणों को स्पष्ट करना होगा।

2.4 ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जानी है अथवा ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक पूर्ण कर/करा लिया जाय।

2.5 पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियां जिन पर पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है, पर चयन कराए जाने हेतु प्रस्ताव/अधियाचन, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को समयबद्ध रूप से प्रेषित कर दिया जाए।

3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में, शासन स्तर पर, यथास्थिति संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में, उक्त प्रतिकूल तथ्य का अंकन किया जायेगा।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव ।

संख्या- 1/2023/570(1) / सैतालीस-का-1-2023-13(1) / 2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।